रजिस्ट्री सं. डीएल—(एन)-04/0007/2003—05 REGISTERED No. DL—(N)-04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 8] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 20—फरवरी 26, 2016 (फाल्गुन 1, 1937)

No. 8] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 20—FEBRUARY 26, 2016 (PHALGUNA 1, 1937)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

दिल्ली–110052, दिनांक 18 दिसम्बर 2015

सा. आ. संख्या एसीसी/दि.वउ./वीसी/1(4)/2009/1475—केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को यह प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें :—

क्रम सं.	कोड़ संख्या	स्थापना का नाम	व्याप्ति की तिथि
क्षेत्र : दिल्ली (दक्षिण)			
1.	डीएस/एनएचपी/1065042	मैसर्स कृतवी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	01.12.2014
2.	डीएस/एनएचपी/1305518	मैसर्स आचविस आई टी एसईज़ेड इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड	01.04.2015
3.	डीएस/एनएचपी/1064697	मैसर्स भारत रुरल लाईवलीहूड्स फाउंडेशन	01.01.2015
4.	डीएस/एनएचपी/1040084	मैसर्स बीएसबी एड्ज प्राइवेट लिमिटेड	01.10.2014
5.	डीएस/एनएचपी/940978	मैसर्स एलाइन्स रीजनल टेकनिकल सपोर्ट हब	01.04.2013
6.	डीएस/एनएचपी/943253	मैसर्स दलित फाउंडेशन	01.04.2013

क्षेत्र : दिल्ली (उत्तर)			
7.	डी एल./सीपीएम/43585	मैसर्स स्वीट्स एण्ड जेल्लिंगर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	10.03.2012
8.	डी एल./सीपीएम/44537	मैसर्स सेंट्रल सिविल सर्विसेस कल्चरल एण्ड स्पोर्ट्स बोर्ड	01.03.2013

अतः केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर अधिनियम को उनके नाम के सामने दर्शायी गई तिथि से लागू करते हैं।

के. एल. तनेजा
अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त (दि.व उ.)

वास्तुकला परिषद्
(भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय)

नई दिल्ली–110003

वार्षिक रिपोर्ट–2014–2015

वास्तुकला परिषद् वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के अधीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन गठित किया गया एक सांविधिक निकाय है। परिषद् को 31.03.2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए परीक्षित लेखा विवरण सहित अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में प्रसन्नता हो रही है।

संगठनात्मक संरचना :

वास्तुकला परिषद् का अध्यक्ष संगठन का प्रमुख होता है जिसके समग्र प्रभार के अधीन परिषद् काम करती है। प्रो. उदय गडकरी वास्तुकला परिषद् के अध्यक्ष हैं।

सांविधिक तथा अन्य समितियां :

वास्तुविद् अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए विनियमों के उद्देशों को पूरा करने के लिए परिषद् ने सांविधिक समितियां गठित की हैं, यथा कार्यकारिणी समिति, जो परिषद् के कार्यकारी प्राधिकारी के रूप में काम करती है, अनुशासन समिति, जो शिकायतों की जांच–पड़ताल करती है और वास्तुविदों के व्यावसायिक कदाचार के संबंध में जांच करती है, सलाहाकार समिति (अपील) जो उन आवेदकों की अपीलों की सुनवाई करती है जिनके पंजीकरण के मामले परिषद् द्वारा अस्वीकार कर दिए जाते हैं। इनके अलावा, विशेष /खास प्रयोजनों के लिए समय–समय पर अन्य समितियां गठित की जाती हैं।

परिषद् ने विदेशी अर्हताओं की मान्यता हेतु केंद्र सरकार से प्राप्त संदर्भों की जांच हेतु उप–समिति गठित की है।

कार्यकारिणी समिति ने बी.आर्की पाठ्यक्रम को प्रारम्भ करने के लिए नए संस्थानों से तथा विस्तार अनुमोदन/अतिरिक्त इनटेक के लिए वर्तमान संस्थानों से प्राप्त प्रस्तावों/आवेदनों की संवीक्षा करने हेतु संवीक्षा समिति भी गठित की है।

परिषद् और उसकी समितियों की बैठकें :

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान परिषद् की दो बैठकें हुईं। 62वीं बैठक 02.09.2014 को दिल्ली तथा 63वीं बैठक 06.02.2015 को अलीबाग, महाराष्ट्र में आयोजित हुई।

वर्ष 2014–2015 के दौरान, कार्यकारिणी समिति की 14वीं बार बैठक हुई अर्थात् 1 अप्रैल, 2014 को 128वीं बैठक, 12 मई, 2014 को 129वीं बैठक, 27 तथा 28 मई, 2014 को 130वीं बैठक, 11 जून तथा 12 जून, 2014 को 131वीं बैठक, 26 जून तथा 27 जून, 2014 को 132वीं बैठक, 05 जुलाई, 2014 को 133वीं बैठक, 26 जुलाई, 2014 को 134वीं बैठक, 31 अगस्त तथा 1 सितम्बर, 2014 को 135वीं बैठक, 26 सितम्बर, 2014 को 136वीं बैठक, 16 अक्टूबर, 2014 को 137वीं बैठक, 28 नवम्बर, 2014 को 138वीं बैठक, 12 दिसम्बर, 2014 को 139वीं बैठक, 5 फरवरी, 2015 को 140वीं बैठक, 17 मार्च तथा 30 मार्च, 2015 को 141वीं बैठक हुई।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान परिषद् द्वारा लिए गए विभिन्न निर्णयों और कार्रवाइयों का सारांश नीचे दिया जा रहा है :–

1.0 वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के अधीन परिषद् द्वारा रखे गए वास्तुविद् रजिस्टर में नामों को फिर से चढ़ाना :

परिषद् ने अपनी 62वीं बैठक में 01.02.2014 से 10.08.2014 तक की अवधि में 1338 चूककर्ता वास्तुविदों के नामों को वास्तुविद् रजिस्टर में फिर से दर्ज करने का अनुमोदन प्रदान किया । इन वास्तुविदों के नाम अपेक्षित फीस प्राप्त हो जाने के बाद वास्तुविद् रजिस्टर में पुनः दर्ज किए गए थे ।

परिषद् ने अपनी 63वीं बैठक में 11.08.2014 से 12.01.2014 तक की अवधि में 587 चूककर्ता वास्तुविदों के नाम वास्तुविद् रजिस्टर में फिर से दर्ज करने का अनुमोदन प्रदान किया । इन वास्तुविदों के नाम अपेक्षित फीस प्राप्त हो जाने के बाद वास्तुविद् रजिस्टर में पुनः दर्ज किए गए थे ।

रिर्पोटाधीन अवधि में परिषद् ने वास्तुविदों से रू. 20,02,000/– की रेस्टोरेशन फीस वसूल की तथा वास्तुविदों से रू. 86,31,540/– की जुर्माना राशि उनके पंजीकरण के नवीनीकरण न करवाने एवं साथ ही परिषद् द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण–पत्र को जमा न करने हेतु वसूल किया गया।

2.0 निवेदन करने पर तथा निधन होने पर वास्तुविद् रजिस्टर से नामों को हटाना :

परिषद् ने अपनी 62वीं बैठक में वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के अनुच्छेद 29(1)(ए) के तहत निम्नलिखित वास्तुविदों के नाम भी उनके द्वारा निवेदन करने पर हटा दिए :–

1. श्री विनोदचंद्र एम. शाह (सीए/75/1242), अहमदाबाद; तथा
2. श्री डी. आर. करनालकर (सीए/79/5073), पूणे;

परिषद् ने अपनी 62वीं बैठक में वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के अनुच्छेद 29(1)(बी) के अधीन निम्नलिखित वास्तुविदों के नाम उनकी मृत्यु पर वास्तुविद् रजिस्टर से हटा दिए :–

1) श्री अनिल डी. राजे (सीए/79/5146), मुंबई;
2) सुश्री सुधा एल. पाटकर (सीए/75/1839), मुंबई;
3) श्री जगदीश ठक्कर (सीए/88/11509), मुंबई;
4) श्री मोहनदास क्लीपुरायथ (सीए/88/11344), कालीकट;

इसके अतिरिक्त परिषद् ने अपनी 63वीं बैठक में वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के अनुच्छेद 29(1)(क) के तहत निम्नलिखित वास्तुविदों के नाम भी उनके द्वारा निवेदन करने पर हटा दिए :–

1. श्री एस. एन. करखनीस, पुणे, (सीए/75/910);
2. श्री नोशिर एदल खरास, मुंबई (सीए/75/783);
3. सुश्री सुपरना गांगुली, कोलकता (सीए/96/20106);
4. श्री महोहर वी. पाठक, पुणे (सीए/83/6579);
5. श्री डी. डी. मिस्त्री, ग्लास्अनबरी, यू.एस.ए. (सीए/79/4968);
6. श्री पी. पी. पाटेकर, ठाणे (सीए/84/8688);
7. श्री पी. एल. नाटू, पुणे (सीए/86/10128);
8. सुश्री रीनू अचा जोन, कोट्टायम (सीए/2010/49165);
9. श्री ललित टी. पटेल, मुंबई (सीए/75/1495);
10. श्री वी. वी. कनाडे, पुणे (सीए/81/6103);
11. श्री के. एस. राघव, चेन्नई (सीए/78/4604); तथा

परिषद् ने अपनी 63वीं बैठक में वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के अनुच्छेद 29(1)(ख) के अधीन निम्नलिखित वास्तुविदों के नाम उनकी मृत्यु पर वास्तुविद् रजिस्टर से हटा दिए :–

1. श्री एम. एस. कनीटकर, पुणे (सीए/75/1564);
2. श्री सत्य पॉल नायर, नई दिल्ली (सीए/76/2391);
3. श्री डी. के. वैद्य, ठाणे (सीए/75/488);
4. श्री डी. प्रभाकर, मुंबई (सीए/75/2251);
5. श्री एम. सी. तेंदुलकर, मुंबई (सीए/75/2253);
6. श्री एस. वी. कुंटे, ठाणे (सीए/75/660);
7. श्री आर. एच. वाडेकर, कल्याण (सीए/75/1947);
8. श्री रोलिन्द्रो ढकहर, शिलांग (सीए/77/3942);
9. श्री आर. एम. बोहरा, मुंबई (सीए/82/7131);
10. श्री एस. गुरूनाथन, चैन्नई (सीए/78/4676);
11. श्री के. के. सेठ, नई दिल्ली (सीए/76/3200);

12. श्री जे. आर. कामथ, उत्तर कनाड़ा (सीए/85/9252);

13. श्री जी. पी. पटवर्धन, रत्नागिरी (सीए/84/8473);

14. श्री पी. जी. अरस, इंदौर (सीए/87/10895);

15. श्री ऋषी राज, रूड़की (सीए/83/7737);

16. श्री एस. निजवान, दिल्ली (सीए/83/7748);

17. श्री केवल ठक्कर, मुंबई (सीए/88/11509);

18. श्री एन. एच. धरंगधारिया, भोपाल (सीए/75/11);

3.0 अनुशासन समिति की बैठकें :

अनुशासन समिति की बैठकें दिनांक 5 व 6 मई, 2014, 23 व 24 जुलाई, 2014, 17 व 18 अक्तूबर, 2014 को आयोजित हुई तथा समिति ने बैठक में संदर्भित मामलों के संबंध में पूर्ण परिषद् को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

अध्यक्ष श्रीमती शिप्रा मित्रा की परिषद् तथा अनुशासन समिति की सदस्यता दिनांक 01.11.2015 से समाप्त हुई। समिति के अब केवल दो सदस्य हैं। परिषद् ने अनुशासन समिति के पुनर्गठन तथा भारत के राजपत्र में इसके गठन को अधिसूचित करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय से अनुरोध किया है।

4.0 वास्तुविदों का पंजीकरण :

परिषद् वास्तुविद् अधिनियम की धारा 25 के अधीन वास्तुविद् के रूप में ऐसे व्यक्ति का नाम पंजीकृत करती है, जो भारत में रहता हो या वास्तुकला का व्यवसाय करता हो और जो मान्यता प्राप्त वास्तुकलात्मक अर्हता रखता है ।

वर्ष (1 अप्रैल, 2014 से 31 मार्च, 2015) के दौरान परिषद् ने वास्तुविदों के रूप में 4954 व्यक्तियों का पंजीकरण किया। इस प्रकार 31 मार्च, 2015 तक वास्तुकला परिषद् में वास्तुविदों के रूप में कुल 67924 व्यक्तियों का पंजीकरण किया गया है। इस प्रकार, 31 मार्च, 2015 तक 54842 व्यक्तियों के वास्तुकला परिषद् में वैध पंजीकरण हैं ।

5.0 केन्द्र सरकार द्वारा वास्तुविद अधिनियम के तहत बनाये गए नियमों के अधीन निर्धारित विविध फीस का संशोधन :

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने राजपत्र अधिसूचना सं. 173 दिनांक 06.08.2014 के तहत वास्तुकला परिषद् नियमावली, 1973 में संशोधन किया तथा वास्तुविदों से ली जाने वाली फीस को निम्नानुसार तय किया है:

(i) पंजीकरण : रू 600

(ii) नवीकरण : रू 600 तथा एकबारगी रू 6000

(iii) अतिरिक्त अर्हता : रू 200

(iv) अनुलिपि प्रमाणपत्र : रू 600

परिषद् ने उपरोक्त को कार्यान्वित किया तथा उपरोक्त निर्धारित फीस के अनुसार वास्तुविदों से फीस ली जा रही है।

6.0 वास्तुकला परिषद् कार्यालय के लिए अतिरिक्त कार्यस्थल का क्रय :

परिषद् ने नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एन.बी.सी.सी) से एन.बी.सी.सी. सेंटर, ओखला (फेज—1), नई दिल्ली के 7वें तल में अतिरिक्त कार्यालय स्थल की खरीद की है जिसका कुल क्षेत्र 7885 वर्ग फीट एवं 18 रिजर्व कार पार्किंग सुविधा के साथ निर्धारित मूल्य रू. 22,260/— प्रति वर्ग फीट है।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, परिषद् ने एन.बी.सी.सी. को रू. 14,79,67,074/— (रूपये चौदह करोड़ उन्यासी लाख सड़सठ हज़ार चौहत्तर मात्र) की राशि भुगतान की है।

7.0 वास्तुविदों के विरूद्ध व्यावसायिक कदाचार हेतु शिकायतें :

प्रत्येक वास्तुविद् से यह अपेक्षा की जाती है कि वह 2003 में संशोधित वास्तुविद् (वृत्तिक आचरण) विनियमावली, 1989 के उपबंधों का पूर्णतः पालन करेगा। वास्तुविद् अधिनियम में यह व्यवस्था की गई है कि यदि किसी वास्तुविद् को जांच—पड़ताल और सुनवाई का अवसर प्रदान किए जाने के बाद वृत्तिक कदाचार का दोषी पाया जाता है तो उसके विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।

परिषद् द्वारा अपनी 62वीं बैठक में वास्तुविदों के विरूद्ध व्यावसायिक अनाचार संबंधी 2 शिकायतों पर विचार किया गया जिसमें सभी शिकायतों को खारिज कर दिया गया।

परिषद् द्वारा अपनी 63वीं बैठक में वास्तुविदों के विरूद्ध व्यावसायिक अनाचार संबंधी 12 शिकायतों पर विचार किया गया जिसमें 3 शिकायतों को विस्तृत जांच हेतु अनुशासन समिति को सौंप दिया गया तथा 7 शिकायतों को खारिज कर दिया गया। एक मामला इसलिए स्थगित रखा गया क्योंकि यह दूसरे मामले में न्यायालय में विचाराधीन है। अतः

परिषद् द्वारा प्रतिवादी वास्तुविद को अपना बचाव पक्ष प्रस्तुत करने हेतु एक और अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

8.0 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना की आपूर्ति:

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, परिषद् द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन 87 आवेदकों की सूचना की आपूर्ति की गई तथा 3 अपीलों का निपटान किया गया।

9.0 वास्तुकला संस्थानों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया :

परिषद् को बी. आर्की के प्रारम्भ करने तथा बी. आर्की कोर्स के विस्तार/अतिरिक्त इनटेक के लिए संस्थानों से ऑनलाइन आवेदन/प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं। संस्थानों द्वारा संकाय सदस्यों तथा संरचनात्मक सुविधा सहित संस्थान की सभी जानकारी इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत की जा रही है तथा उनके द्वारा दी गई ज़ानकारी पर आधारित उनके निरीक्षण तथा निरीक्षण रिपोर्ट को निरीक्षकों द्वारा ऑनलाइन भरा जाएगा।

यह परिषद् को संस्थानों के पूरे डाटाबेस तथा उनकी शैक्षणिक तथा संरचनात्मक सुविधाओं पर नजर रखने में सहजता लाएगा। शिक्षा सत्र 2015–16 के लिए निरीक्षण ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से हो रहे हैं।

10.0 शिक्षा–सत्र 2014–2015 में नई संस्थाओं का अनुमोदन :

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान बैचलर ऑफ आर्कीटेक्चर पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए 52 नए संस्थानों को अनुमोदन प्रदान किया गया तथा पहले से विद्यमान 10 संस्थानों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों का अनुमोदन प्रदान किया गया।

इस प्रकार, 2014–2015 में परिषद् के अनुमोदन से वास्तुकला में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम प्रदान करने वाली संस्थानों की कुल संख्या बढ़कर 379 हो गई। छात्रों की वार्षिक प्रवेश संख्या अनुमानतः पूर्वस्नातक (यूजी) स्तर पर 23741, स्नाकोत्तर (पीजी) स्तर पर 1820 और पीएच–डी स्तर पर 30 है।

11.0 शिक्षा–सत्र 2014–2015 से आगे अनुमोदन की अवधि बढ़ाना :

वास्तुकला परिषद् ने शिक्षा–सत्र 2014–2015 के लिए 136 संस्थानों के लिए बी. आर्की. और एम. आर्की पाठ्यक्रमों के अनुमोदन या अन्यथा की अवधि निम्नलिखित ढंग से बढ़ाई :

(i) वे संस्थाएं जिनमें 2014–2015 से आगे वर्तमान या अधिक दाखिले सहित बी. आर्की. पाठ्यक्रम के लिए अनुमोदन की अवधि बढ़ाई गई : 136

(ii) वे संस्थाएं जिनमें 2014–2015 से आगे के लिए वर्तमान या अधिक दाखिले सहित एम. आर्की. पाठ्यक्रम के लिए अनुमोदन की अवधि बढ़ाई गई : 14

(iii) वे संस्थाएं जिनमें वर्ष 2014–2015 के लिए कोई "प्रवेश नहीं" घोषित किया गया : शून्य

(iv) वे संस्थाएं जिनकी 2014–2015 हेतु 'मान्यता वापस' ली गई : 2

परिषद् ने शिक्षा–सत्र 2014–2015 के लिए उन संस्थाओं का निरीक्षण करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है जिनका निरीक्षण किया जाना है।

12.0 केंद्रीय सरकार द्वारा वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के अधीन विदेशी अर्हताओं की मान्यता :

परिषद् को विदेशी यूनिवर्सिटियों द्वारा दी गई वास्तुकला डिग्री को मान्यता देने के लिए केंद्रीय सरकार से संदर्भ प्राप्त हुए हैं।

विदेशी योग्यताओं को मान्यता देने संबंधी सभी मामलों की जांच करने एवं विचार करने के लिए परिषद् द्वारा विदेशी योग्यताओं को मान्यता प्रदान करने हेतु आवेदनों पर विचार करने के लिए एक उप–समिति गठित की गई है जिसमें प्रो. मिलिंद कोलेगल, कन्वेनर, प्रो. जितेंद्र सिंह, सदस्य, श्री ए. डी. शिरोड, सदस्य तथा प्रो. डी. वी. सोलोमन, सदस्य सम्मिलित है।

समिति ने 63वीं बैठक में अपनी रिपोर्ट पूर्ण परिषद् को प्रस्तुत की, तथापि, पूर्ण परिषद् ने पुनः जांच हेतु उप–समिति को मामले भेजे।

13.0 वास्तुविद् अधिनियम, 1972 में विस्तृत संशोधन :

परिषद् ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार को वास्तुविद् अधिनियम, 1972 में विस्तृत संशोधन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। मंत्रालय ने उक्त कार्य को पूर्ण करने हेतु श्री जे. आर. भल्ला, वास्तुविद् पूर्व–अध्यक्ष, वास्तुकला परिषद् की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है।

समिति ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा इस मामले में मंत्रालय से कार्रवाई प्रतिक्षित है।

14.0 वास्तुविदों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम :

एनआईएएसए ने पुणे तथा अन्य शहरों में शिक्षकों और पेशेवर वास्तुविदों के लिए 15 प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए। कार्यक्रमों में देशभर से 378 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।

वर्ष के दौरान "एकेडमिक लीडरशीप वर्कशॉप" विषय पर वास्तुकला संस्थानों में प्रमुखों और वरिष्ठ संकायों के लिए 04 उद्यमी विकास कार्यक्रम आयोजित किए गए।

कार्यक्रमों का विवरण निम्न प्रकार है:—

1. शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम :

क्रम सं	कार्यक्रम का नाम	समन्वयक का नाम	तारीख	सहभागियों की संख्या
1.	रीजनल फैकल्टी इंडक्शन कार्यक्रम, कोलकता पश्चिम बंगाल	प्रो. जयश्री देशपांडे	09—13 जून, 2014	13
2.	रीजनल फैकल्टी इंडक्शन कार्यक्रम, वल्लभ विद्यानगर, गुजरात	प्रो. जयश्री देशपांडे	16—20 जून, 2014	25
3.	रीजनल फैकल्टी इंडक्शन कार्यक्रम, कोल्हापुर, महाराष्ट्र	प्रो. जयश्री देशपांडे	23—27 जून, 2014	20
4.	रिसर्च इन आर्कीटेक्चर	डॉ. वसुधा गोखले, एवं डॉ. अभिजीत नाटू	07—11 जुलाई, 2014	15
5.	फैकल्टी इंडक्शन कार्यक्रम	प्रो. जयश्री देशपांडे	04—14 अगस्त, 2014	16
6.	सेलिब्रेटींग हेबिटेट: दी रियल, दी वरचूयल एंड दी इमेजीनरी	प्रो. बी. वी. दोषी	11 अक्तूबर, 2014	38
7.	रीजनल फैकल्टी इंडक्शन कार्यक्रम, हैदराबाद, तेलंगाना	प्रो. जयश्री देशपांडे	30 अक्तूबर से 03 नवम्बर, 2014	29
8.	सेलिब्रेटींग हेबिटेट: दी रियल, दी वरचूयल एंड दी इमेजीनरी	प्रो. बी. वी. दोषी	31 अक्तूबर, 2014	18
9.	फैकल्टी इंडक्शन कार्यक्रम	प्रो. जयश्री देशपांडे	10—20 नवम्बर, 2014	18
10.	बी. वी. दोषी—ए रेट्रोस्पेक्टीव	प्रो. बी. वी. दोषी	28 नवंबर, 2014	18
11.	रीजनल फैकल्टी इंडक्शन कार्यक्रम, नवी मुंबई, महाराष्ट्र	प्रो. जयश्री देशपांडे	06—10 जनवरी, 2015	28
12.	रीजनल फैकल्टी इंडक्शन कार्यक्रम, तिरूवनंतपुरम, केरल	प्रो. जयश्री देशपांडे	19—23 जनवरी, 2015	31
13.	रीजनल फैकल्टी इंडक्शन कार्यक्रम, बांद्रा, महाराष्ट्र	प्रो. अख्तर चौहान	28 जनवरी से 02 फरवरी, 2015	42
14.	रीजनल फैकल्टी इंडक्शन कार्यक्रम, लखनऊ	प्रो. जयश्री देशपांडे	09—13 फरवरी, 2015	24
15.	"अंडरस्टेंडिंग हैरिटेज ऑफ 20 सेंच्यूरी", आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंटेशन—कंजरवेशन	प्रो. किरण जोशी	09—13 मार्च, 2015	12
कुल प्रतिभागी				347

2. वास्तुकला संस्थानों में प्रमुखों तथा वरिष्ठ संकायों हेतु कार्यशाला :

कार्यक्रम का नाम	समन्वयक का नाम	तारीख	सहभागियों की संख्या
एकेडमिक लीडरशीप कार्यशाला	डॉ. के. रामनारायण	17–19 दिसम्बर, 2014	31

3. उद्यमी विकास कार्यक्रम :

वास्तुविदों को सकारात्मक भविष्य के लिए प्रभावपूर्ण तौर पर नियोजन करने तथा विकास करने में सहायता करने हेतु और युवा वास्तुविदों को सफल उद्यमी बनने हेतु उद्यमी विकास कार्यक्रम (ई डी पी) को चार स्थानों में आयोजित किया गया :–

1. अलाना कॉलेज ऑफ आर्कीटेक्चर, पुणे, महाराष्ट्र
2. डॉ. डी. वाई. पाटील स्कूल ऑफ आर्कीटेक्चर, पुणे, महाराष्ट्र
3. स्कूल ऑफ डिजाइन एंड आर्कीटेक्चर, मनिपाल यूनिवर्सिटी–दुबई कैंपस
4. आर वी एस स्कूल ऑफ आर्कीटेक्चर, कोयंबटूर, तमिलनाडु

15.0 वास्तुकला संस्थानों में दाखिल छात्रों को पंजीकरण नंबर जारी करना :

परिषद् संस्थानों द्वारा दाखिल छात्रों को पंजीकरण संख्या जारी कर रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि छात्रों को परिषद् द्वारा निर्धारित पात्रता है तथा साथ ही वे परिषद् द्वारा स्वीकृत इनटेक के अंतर्गत दाखिल हुए हैं।

वर्ष के दौरान, वास्तुकला के कई कॉलेजों की प्रवेश–सूची शिक्षा सत्र 2008–09 से 2014–15 के लिए व्यक्तिगत रूप से जांची जाती थी तथा पंजीकरण संख्या दी जाती थी। वर्ष के दौरान 243 संस्थानों के 12436 छात्रों को पंजीकरण संख्या जारी की गई।

16.0 राष्ट्रीय शोध–प्रबंध पुरस्कार कार्यक्रम :

➢ स्नातक स्तर :

वास्तुकला परिषद् ने एनआइएएसए के माध्यम से युवा प्रतिभाशाली उम्मीदवारों को प्रोत्साहित करने के लिए पूर्व–स्नातक शोध–प्रबंध परियोजनाओं हेतु नौवां राष्ट्रीय शोध–प्रबंध पुरस्कार कार्यक्रम शुरू किया। आंचलिक कार्यक्रम निम्नलिखित स्थानों पर आयोजित किए गए :–

जोन	स्थान	समन्वयकारी कॉलेज
1.	इंदौर	आई.पी.एस. एकेडमीज स्कूल ऑफ आर्कीटेक्चर, इंदौर, मध्य प्रदेश
2.	वड़ोदरा	पारूल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कीटेक्चर एंड रिसर्च, वडोदरा, गुजरात
3.	पुणे	एम.सी.ई. सोसाइटीज अलाना कॉलेज ऑफ आर्कीटेक्चर, पुणे, महाराष्ट्र
4.	कोयंबटूर	एसवीएस स्कूल ऑफ आर्कीटेक्चर, कोयंबटूर, तमिलनाडु
5.	चैन्नई	आलिम मुहम्मद सलेघ एकेडमी ऑफ आर्कीटेक्चर, चैन्नई, तमिलनाडु

आचंलिक जूरी के निम्नलिखित सदस्य थे :–

1. इंदौर – सुश्री गीता बालकृष्णन, श्री इंद्रनील चैटर्जी, श्री प्रसाद यादव
2. वड़ोदरा – श्री बी. एस. भूषण, सुश्री दीपा मानद्रेकर राव, श्री रवि कदम
3. पुणे – सुश्री अपरणा नरसिंहन, श्री संदीप सेन, श्री यशवंत रामामुर्ति
4. कोयंबटूर – श्री पार्थरंजन दास, श्री सूर्य काकानी, सुश्री वंदना रंजीत सिंह
5. चैन्नई – सुश्री श्रद्धा सेजपाल, श्री उजन घोष, सुश्री यतिन पांडे

राष्ट्रीय जूरी का आयोजन तमिलनाडु चेपटर, चैन्नई सेंटर आई आई ए, चैन्नई में किया गया। नेशनल फाइनल के लिए जूरी के सदस्य थे – सुश्री एपीराडी केसमसुक, श्री के आर जयसीम तथा श्री के. बी. जैन।

➢ स्नातोत्तर स्तर :

परिषद् द्वारा एन आई ए एस ए के माध्यम से स्नाकोत्तर शोध–प्रबंध परियोजनाओं के लिए प्रथम शोध–प्रबंध पुरस्कार कार्यक्रम का आरंम्भ देशभर से वास्तुकला में स्नातोत्तर पाठ्यक्रमों के छात्रों को प्रेरित करने तथा उनका उत्साहवर्धन करने तथा वास्तुकला स्कूलों में अनुसंधान प्रक्रिया के विकास करने के उद्देश्य के साथ किया गया।